

(470)

राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

129

क्रमांक प.3(50)नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:

23 MAY 2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुक्रम में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.01.2013 की तालिका 02 के नीचे अंकित स्पष्टीकरण संख्या-01 को अधिक्रमित करते हुए यह आदेश दिए जाते हैं कि 300 वर्गमीटर तक के भूखण्डों के निर्माण एवं सैटबेक की खाती भूमि को सम्मिलित करते हुए नियमन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 24.01.2013 की तालिका 2 में अंकित दरों के अनुसार किया जावेगा।

यदि किसी भूखण्ड का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर से अधिक है तो ऐसे प्रयत्नों में 300 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए रिजर्व प्राईस की 25 प्रतिशत या आदेश दिनांक 24.01.2013 की तालिका संख्या -01 में अंकित दर, जो भी अधिक हो, राशि ली जाकर नियमन की कार्यवाही की जायेगी।

उदाहरणार्थ 500 वर्गमीटर के भूखण्ड के क्रम में 300 वर्गमीटर तक भूमि के नियमन हेतु तालिका संख्या 02 के अनुसार निर्धारित दर एवं शेष 200 वर्गमीटर के लिए रिजर्व प्राईस की 25 प्रतिशत या तालिका संख्या 01 में अंकित दर।

राज्यपाल आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
3. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वा0 शासन विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
7. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नगरपालिका कलक्टर..... (राजस्थान)।
9. संयुक्त शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग।
10. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
13. सचिव, नगर सुधार न्यास.....(समस्त)।
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/समस्त आयुक्त, नगर परिषद/समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

23/5/2013
(एन.एल.मीना)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

(406)